भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMTED

(Hkkjr ljdkj dk miØe /**A Government of India Undertaking)**

'kk[kk dk;ky; %Þdikl&Hkouß **158-185,** fMfLVDV lUVj] tokgjuxj] Jhxxkuxj & 335 001

Branch office : "KPAS-BHWAN" DISTIRICT CENTRE, JAWAHAR NAGAR, SRIGANGANAGAR – 335001 (RAJASTHAN)

दूरभाष सं./Phone:**0154-2463377,2462843,2461741** फैक्स/Fax: **0154-2461040** b-ey/**email Sriganganagar@cotcorp.com**

निगमित पहचान संख्या:**U51490MH1970GOI014733/**OCl kbV/website: **www.cotcorp.org.in, www.texmin.nic.in**

क्रमांक:भाकनि/गंनगर/विप-विक्रय/2020-21/ दिनांक: 18.07.2020

परिवहन निविदा सूचना (Tender Notice)

निगम शाखा कार्यालय, श्रीगंगानगर अपने अधीनस्थ केन्द्रो एवं भंडारण स्थलों से कालम्बोली नवी मुंबई एवं कोलकाता तक गॉठों के परिवहन हेतु टेण्डर आमंत्रित करता है । टेण्डर फार्म, नियम व शर्तो का प्रोफार्मा निगम के शाखा कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है । इच्छुक ट्रांसपोर्टर जिनकी 20.00 लाख रूपये की बैंक गारंटी निगम के किसी भी शाखा कार्यालय या मुख्यालय में जमा है या जमा करवाना चाहते हैं, वे निर्धारित फार्म में निविदा दिनांक **30.07.2020** को 3.30 बजे तक या उससे पूर्व बंद लिफाफे में शाखा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं । निविदा उसी दिन **30.07.2020** को 4.00 बजे उपस्थित परिवहनकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी व निगम किसी भी निविदा को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

निविदा संबंधी निविदा फार्म, नियम एवं शर्तो की पूर्ण जानकारी हमारी वेबसाईट www.cotcorp.org.in या www.eprocure .gov.in पर उपलब्ध है ।

मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMTED

(Hkkjr ljdkj dk miØe /**A Government of India Undertaking)**

'kk[kk dk;kZy; %pdikl&Hkouß **158-185,** fMfLVªDV lsUVj] tokgjuxj] Jhxaxkuxj & 335 001

Branch office : "KPAS-BHWAN" DISTIRICT CENTRE, JAWAHAR NAGAR, SRIGANGANAGAR – 335001 (RAJASTHAN)

दूरभाष सं./Phone:**0154-2463377,2462843,2461741** फैक्स/Fax: **0154-2461040** b-esy/**email Sriganganagar@cotcorp.com**

निगमित पहचान संख्या:**U51490MH1970GOI014733/**oSclkbV/website: **www.cotcorp.org.in, www.texmin.nic.in**

तकनीकी बिड (Technical Bid)

Bid-I

निविदा फार्म नंबर	:	.....
निविदा फार्म जारी करने की दिनांक	:	**18.07.2020**
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	:	**30.07.2020** दोपहर 3.30 बजे
निविदा खोलने की दिनांक	:	**30.07.2020** दोपहर 4.00 बजे

रूई की गाँठों के परिवहन कार्य का फार्म – अवधि से तक

1.	परिवहनकर्ता का नाम, पता एवं टेलीफोन नंबर	:	.....
2.	परिवहनकर्ता के साझेदारों के नाम	:	.....
3.	परिवहनकर्ता के श्रीगंगानगर प्रतिनिधि का नाम	:	.....
4.	परिवहनकर्ता के श्रीगंगानगर प्रतिनिधि का पता व फोन नंबर	:	.....
5.	बैंक का नाम व गारंटी संख्या	:	.....
6.	बैंक गारंटी की वैधता दिनांक	:	.....
7.	GST रजिस्ट्रेशन नंबर (फार्म के साथ फोटोप्रति संलग्न करें)	:	.....
8.	स्थाई पता व फोन नंबर	:	.....
9.	PAN नंबर (फोटोप्रति संलग्न करें)	:	.....
10.	स्वयं के ट्रकों की संख्या तथा अनुबंधित ट्रकों की संख्या :		.....

हस्ताक्षर मय पदनाम व स्टॉम्प के साथ

दिनांक .....

स्थान .....

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMTED

(Hkkjr ljdkj dk miØe /**A Government of India Undertaking)**

'kk[kk dk;kZy; %pdikl&Hkouß **158-185,** fMfLVªDV lsUVj] tokgjuxj] Jhxaxkuxj & 335 001

Branch office : "KPAS-BHWAN" DISTIRICT CENTRE, JAWAHAR NAGAR, SRIGANGANAGAR – 335001 (RAJASTHAN)

दूरभाष सं./Phone:**0154-2463377,2462843,2461741** फैक्स/Fax**: 0154-2461040** b-esy/**email Sriganganagar@cotcorp.com**

निगमित पहचान संख्या:**U51490MH1970GOI014733/**oSc lkbV/website: **www.cotcorp.org.in, www.texmin.nic.in**

वित्तीय बिड (Financial Bid)

Bid-II

गाँठों के परिवहन के लिये निविदा अवधि कार्य आदेश से 30.09.2020 तक

परिवहनकर्ता का नाम एवं पता ----------

टेलीफोन नंबर ----------

क्र सं	जिला	केन्द्र/भंडारण स्थल	स्टेशन जहाँ गाँठे जानी है (दर प्रति गांठ) **(TO BE BILLED)**	
			कालम्बोली नवी मुंबई	कोलकाता
1	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर		
2		पदमपुर		
3.		श्रीविजयनगर		
4.		अनूपगढ		
5.		जैतसर		
6.		सूरतगढ		
7		सादूलशहर		
8	हनुमानगढ	गोलूवाला		
9		पीलीबंगा		
10		रावतसर		
11		हनुमानगढ टा.		
12		हनुमानगढ जं.		
13		संगरिया		

- **परिवहन दरों में लोडिंग/अनलोडिंग शामिल है ।**
- मैंने निगम की संलग्न नियम एवं शर्ते पढ़ ली है और वह सभी मुझे मान्य है ।

परिवहनकर्ता का नाम, सील एवं हस्ताक्षर

भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMTED

(Hkkjr ljdkj dk miØe /**A Government of India Undertaking)**

'kk[kk dk;kZy ; %pdikl&Hkouß **158-185,** fMfLVªDV lsUVj] tokgjuxj] Jhxaxkuxj & 335 001

Branch office : "KPAS-BHWAN" DISTIRICT CENTRE, JAWAHAR NAGAR, SRIGANGANAGAR – 335001 (RAJASTHAN)

दूरभाष सं./Phone:**0154-2463377,2462843,2461741** फैक्स/Fax: **0154-2461040** b-esy/**email Sriganganagar@cotcorp.com**

निगमित पहचान संख्या:**U51490MH1970GOI014733/**oSclkbV/website: **www.cotcorp.org.in, www.texmin.nic.in**

रूई की गाँठे प्रेषित करने एवं निविदा भरने के लिये शर्तें

(1) सभी गाँठे परिवहनकर्ता को सड़क परिवहन द्वारा ही भेजनी पड़ेगी । यह किसी भी कारणवश सड़क के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजी जा सकती । इसके लिये परिवहनकर्ता को अपनी न्यूनतम दर प्रति गाँठ देनी पड़ेगी । परिवहनकर्ता द्वारा दी गई प्रति गाँठ में लोडिंग/अनलोडिंग व अन्य उचित खर्चे (इन्सीडेंटिल खर्चे) शामिल होंगे । परिवहनकर्ता द्वारा निविदा में एक बार भरी गई दर फाईनल मानी जायेगी और निगम इस निविदा की अवधि के दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा रेट बढ़ाये जाने पर, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, टायर व अन्य कलपुर्जो के रेट बढ़ाने या कोई टैक्स बढ़ाये जाने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा । उस हालत में भी परिवहनकर्ता उन्हीं दरों पर काम करने के लिये बाध्य होगा । अत: निविदा में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरान किसी भी कारणवश तब्दील नहीं की जा सकती ।

(2) गाँठें द्वार प्राप्ति (Door Delivery) के आधार पर बुक की जायेगी । दिये गये केन्द्रों से गाँठे उठाकर गंतव्य स्थान का पता जो भी हो, पहुँचानी होगी। यदि गंतव्य स्थान पर पहुँच कर गाँठों की डिलीवरी देने का स्थान बदल दिया जाता है तो ऐसी हालत में 50 KM तक के पथान्तर (Diversion) के लिये ट्रांसपोर्टर को कोई पथान्तर शुक्ल (Diversion Charge) नहीं दिया जायेगा ।

(3) गाँठे गंतव्य स्थान पर ट्रकों के पहुँचने की प्राथमिकता के आधार पर उतरवाई जायेगी । जो ट्रक पहले पहुँचेगा उसको पहले उतारा जायेगा । ऐसी हालत में अगर ट्रक लाईन लम्बी हो जाती है तो ट्रांसपोर्टर को कोई रिटेंशन चार्ज नही दिया जायेगा ।

(4) D.O. जारी होने के पश्चात ट्रांसपोर्टर को तुरन्त गाँठे भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी तथा गाँठों के डिस्पैच के तुरन्त पश्चात ट्रांसपोर्टर को G.R. No. व गाँठों का विवरण तुरन्त अगले दिन शाखा कार्यालय , श्रीगंगानगर को सूचित करना होगा ।

(5) गाँठों के लदान व परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर गाँठों की पूरी निगरानी रखेगा व संभालेगा । परिवहन के दौरान गाँठे तिरपालों से ढँकी होनी चाहिये । किसी कारणवश परिवहन के दौरान गाँठों को होने वाली हानि के लिये ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा ।

(6) ट्रकों की हालत अच्छी होनी चाहिये । अगर ट्रकों में पहले लादा कोयला या अन्य रसायन पदार्थ लगा हो तो ट्रकों की पूरी तरह सफाई करवाकर ही गाँठे लोड की जाये ।

(7) प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को प्रति सप्ताह एक तालिका (Statement) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें लॉट नंबर, गाँठों की संख्या, लॉरी रसीद नंबर और डिस्पैच की तिथि, स्टेशन जिसको भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिये ।

(8) दरें आदेश दिनांक से 01.08.2020 से 30.09.2020 तक के लिये मान्य होगी ।

(9) सीलबन्द निविदा एक बन्द लिफाफे में भेजनी होगी । लिफाफों पर स्पष्ट तौर पर परिवहनकर्ता का नाम व यह लिखा होना अनिवार्य है कि **"कपास की गाँठें परिवहन हेतु निविदा"** । फैक्स या ई.मेल से प्रेषित टेण्डर स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे ।

(10) मुहरबंद टेण्डर शाखा कार्यालय, श्रीगंगानगर में दिनांक 30.07.2020 को दोपहर 3.30 बजे निविदा बाक्स में डालने होंगे । इस समय उपरान्त प्राप्त टेण्डर स्वीकार नहीं किये जायेंगे । टेण्डर उसी दिन सभी परिवहनकर्ताओं के सामने सायं 4.00 बजे खोले जायेंगे ।

(11) यदि दो या दो से अधिक ट्रांसपोर्टर एक ही प्रकार की न्यूनतम दरें भरते हैं तो यह टेण्डर कमेटी के पूर्ण अधिकार में होगा कि किस ट्रांसपोर्टर को कार्य दे अथवा रिटेण्डर या सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर में प्रतिस्पर्धा करायें ।

(12) कोई भी टेण्डर या सभी टेण्डर या उसके कोई भाग को रद्द करने का अधिकार निगम सुरक्षित रखता है । हालांकि सम्बन्धित पार्टी टेण्डर रद्दीकरण का कारण निगम से प्राप्त कर सकती है ।

(13) टेण्डर फार्म में दर्शाई गई सभी शर्तो के फलस्वरूप यदि कोई (Dispute) शक या शंका उत्पन्न होती है तो यह निगम की श्रीगंगानगर शाखा के समक्ष अधिकार क्षेत्र में होगा कि उसका क्या निर्णय लिया जाये । ऐसी हालत में उस सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व बाध्य होगा । किसी प्रकार के कानूनी झगड़े के लिये अधिकार क्षेत्र का न्यायालय श्रीगंगानगर होगा ।

(14) टेण्डर भरने वाले ट्रांसपोर्टर द्वारा निविदा की शर्ते ध्यान में रख लेनी चाहिये । एक बार टेण्डर भरने के बाद यह माना जायेगा कि टांसपोर्टर ने इस फार्म में दी गई शर्ते ध्यान से पढ़ ली व इन शर्तो को मानते है व इन शर्तो के अन्तर्गत कार्य के लिए तैयार व बाध्य हैं ।

(15) गॉठे लक्षित स्थान पर अच्छी हालत में और उसी G.R. के आधार पर सुपुर्द की जानी चाहिये । यातायात के दौरान किसी भी गॉठ में लॉटस की मिलावट नहीं होनी चाहिये । गॉठे सामान्य तौर पर लदान होने के पश्चात सीधे ही गंतव्य स्थान पर पहुँचनी अनिवार्य होगी । गॉठों को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु के आधार पर बीच में किसी ट्रांसशिपमेंट के बगैर प्रेषण करना होगा । यदि किसी कारणवश सम्भव न हो तो एक से ज्यादा ट्रांसशिपमेन्ट की अनुमति नही होगी ।

(16)

क्र सं	श्रीगंगानगर शाखा के सभी केन्द्रों / भंडारण स्थलों से	1200 गांठों तक DO प्राप्ति दिनांक से	1201 से 5000 गांठों तक DO प्राप्ति दिनांक से	5000 से ऊपर गांठों तक DO प्राप्ति दिनांक से
1		10 दिन	12 दिन	15 दिन
रविवार एवं छुट्टियों का दिन छोड़ कर				

गॉठें निर्धारित अवधि के अंदर गंतव्य स्थान पर नही पहुँचती है तो 10/- रूपये प्रति गॉठ प्रतिदिन के हिसाब से देरी की पेनल्टी परिवहनकर्ता के बिल से/अन्य देयकों से कटौती की जायेगी ।

(17) गॉठे टू बी बिल्ड अथवा **टु पे** के आधार पर भेजी जा सकती है । चैक पोस्ट (नाका पोस्ट) पर चुंगी की अदायगी ट्रांसपोर्टरों को नियमानुसार करनी होगी और चुंगी की रसीद प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान कर दिया जायेगा । निर्यात हेतु भेजी जाने वाली गॉठों पर चुंगी नही लगेगी । इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रोफार्मे सामान्य तौर पर उपलब्ध करा दिये जाते है पर यह जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की ही होगी कि आवश्यक फार्म खुद भरे तथा साथ में ले जाये ।

(18) टेण्डर केवल निगम की शर्तो पर ही मान्य होंगे । इसके लिये ट्रांसपोर्टर की कोई शर्त मान्य नही होगी

(19) यदि कोई दुर्घटना या अन्य घटना हो जाती है तो प्रिलिमरी सर्वे कराये बिना वही से ट्रक तथा साल्वेज को नही हटाया जाना है । क्षति सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं कार्यवाही ट्रांसपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय, श्रीगंगानगर को भी तुरन्त देनी होगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की ही होगी । यदि रास्ते में कोई दुर्घटना/अग्नि दुर्घटना एवं अन्य घटना हो जाती है तो Preliminary Survey कराये बिना वहॉ से ट्रक तथा साल्वेज को तब तक न हटाया जाए जब तक सर्वेयर द्वारा सर्वे का काम पूरा नही कर लिया जाता है । ट्रांसपोर्टर का यह भी दायित्व होगा कि आवश्यकता पड़ने पर वे प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) Fire Brigade Report/Non Delivery Certificate पंचनामा आदि की कापी प्रस्तुत करेंगे । ट्रांसपोर्टर द्वारा FIR में अग्नि दुर्घटना में शामिल गॉठों की विवरणी तथा संख्या की रिपोर्ट निश्चित रूप से दर्ज करानी होगी । क्षति संबंधी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं कार्यवाही ट्रांसपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय, श्रीगंगानगर को भी तुरन्त देनी होगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होगी ।

(20) ट्रासंपोर्टर द्वारा पूरे लॉट की मूल बिल्टी/जी.आर प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा । (जी.आर.की फोटोप्रति मान्य नहीं होगी)

(21) बैंक गारंटेड परिवहनकर्ताओं से शाखा कार्यालय, श्रीगंगानगर क्षेत्र से संलग्न सूची अनुसार विभिन्न स्थानों पर गॉठों को पहुँचाने के लिये टू पे/टू बी बिल्ड निविदा मांगी जाती है ।

(22) बैंक गारंटेड परिवहनकर्ता वे ही माने जायेंगे जिन्होंने निगम के किसी भी कार्यालय में रूपये 2000000/- की बैंक गारंटी दी हुई है । निविदा फायनल करते समय परिवहनकर्ता को निगम के उस कार्यालय का पत्र व बैंक गारंटी की फोटोप्रति प्रस्तुत करनी होगी और यदि परिवहनकर्ता बैंक अनुमोदित (Bank Approved) है तो इसका प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

(23) परिवहनकर्ता अपना कार्यालय श्रीगंगानगर में रखने की व्यवस्था करेगा जहाँ उसे डी.ओ. सौंपने की सूचना दी जा सके। निविदा भरने वाले परिवहनकर्ता की **30.09.2020** तक की बैंक गारंटी विधि मान्य (Valid) होनी चाहिये ।

(24) बिलों से टी.डी.एस सरचार्ज तत्कालीन नियमानुसार काटा जायेगा ।

(25) परिवहनकर्ता अपना PAN तथा GST नंबर अवश्य प्रस्तुत करे एवं यदि सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो वह भी सूचित करे ।

(26) परिवहनकर्ता अपने कार्यालय के साथ-साथ आवास का पता एवं टेलीफोन/टैलेक्स/फैक्स नंबर/ई-मेल आयडी/ भी अपनी निविदा में दे । श्रीगंगानगर से बाहर के वही परिवहनकर्ता निविदा दे सकेंगे जिसका कोई प्रतिनिधि या कोई शाखा श्रीगंगानगर या श्रीगंगानगर के नजदीक क्षेत्र में भी कार्य करता हो ताकि उससे तुरंत संपर्क स्थापित किया जा सके तथा जहाँ उसे डी.ओ.सौंपा जा सके ।

(27) परिवहनकर्ता द्वारा यदि निर्धारित अवधि में गाँठे नहीं उठाई जाती है तो दोषी होने पर वह कार्य किसी अन्य परिवहनकर्ता से प्रचलित मार्केट दर के अनुसार करवाया जायेगा व उससे निगम को होने वाली क्षतिपूर्ति की वसूली संबंधित मूल परिवहनकर्ता से की जायेगी ।

(28) निविदा भरने वाले परिवहनकर्ता द्वारा स्वयंमेव यह माना जायेगा कि उसने निविदा सम्बन्धी सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली है व उनका पालन करने के लिये बाध्य है । परिवहनकर्ता निविदा सम्बन्धी शर्तो पर अपने हस्ताक्षर मय स्टॉम्प के निविदा फार्म के साथ लौटाये ।

(29) किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर निगम द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर (जो कि निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को विवाद के निर्णय हेतु मामला सुपुर्द किया जायेगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा एवं आर्बीट्रेटर, आर्बीट्रेशन व रिकंसीलेशन एक्ट 1996 के प्रोवीजन के अन्तर्गत शासित होगा ।

(30) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रकार के लागू या लागू होने वाले टैक्स की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी ।

(31) परिवहन दरें भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनके द्वारा दी गई दरों मे सर्विस टेक्स शामिल ना हो तथा उन्हे सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रमाण पत्र को फोटो कॉपी भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवारी होगा |

(32) कार्य की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम दर वाले परिवहनकर्ता की दरों पर कार्य अन्य परिवहनकर्ताओं को देने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।

(33) कर में छूट (Tax Exemption) का सर्टिफिकेट परिवहनकर्ता को इस निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा तथा उसकी वैधता भी स्पष्ट अंकित होना चाहिये ।

(34) यदि एक ही लॉट की गाँठे दो अलग-अलग तिथियों में पहुँचती है तो बाद में पहुँची गाँठों की तिथि ही पूरे लॉट के लिये मानी जायेगी ।

(35) परिवहनकर्ता के प्रत्येक बिल में से 10% राशि की कटौती की जायेगी तथा संपूर्ण कार्य निष्पादन के पश्चात काटी गई 10% राशि परिवहनकर्ता को वापिस की जायेगी ।

(36) निगम को पूरा अधिकार होगा कि वह अपने विवेकाधिकार से एक या अधिक परिवहनकर्ता को अनुबंधित करे ।

(37) गाँठे कांट्रेक्ट अनुसार तथा लॉट अनुसार उठाई जायेगा तथा एक लॉट की गाँठों को दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जाये तथा परिवहनकर्ता इस प्रकार से गाँठे भेजें जिसमें दोनों भाग अनिवार्य रूप से गंतव्य स्थान पर साथ-साथ पहुँचे ।

(38) गाँठे उठाते समय परिवहनकर्ता को अपनी कंपनी के लैटरहैड पर गाँठे सही स्थिति में ली गई है, ऐसा प्रमाण-पत्र लिखकर देना होगा ।

(39) जिन परिवाहकों की दर निगम द्वारा स्वीकृत होती है उन्हें 500/- रूपये के स्टॉम्प पेपर पर परिवहन अनुबंध करना होगा और अपने अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम सूचित करना होगा । परिवाहक को कार्य का आबंटन उनके द्वारा परिवहन अनुबंध होने के बाद ही किया जायेगा ।

(40) निविदा में L-1 की गणना दरों के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिए अलग से की जाएगी। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में परिवहन कार्य अधिक होने की दशा में एक से अधिक परिवहनकर्ता को अनुपातिक कार्य भी दिया जा सकता है । जिस परिवाहक की संबंधित गंतव्य स्थान हेतु न्यूनतम दर प्राप्त होती है, को L-1 माना जायेगा तथा उसे परिवहन कार्य का 60% कार्य आबंटित किया जायेगा तथा शेष 40% कार्य L-2 को दिया जायेगा बशर्ते वह L-1 द्वारा दी गई दरों पर कार्य करने हेतु तैयार हो । यदि L-2 परिवाहक L-1 द्वारा दी गई दरों पर कार्य करने को इच्छुक नहीं है तो समस्त कार्य L-1 को ही आबंटित किया जायेगा ।

(41) परिवहन हेतु GST E-Way Bill बनाने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी । यदि GST E-Way Bill बनाने में लापरवाही के कारण निगम को GST act & provisions के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हानि/ देनदारी उत्पन्न होती है तो उसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जाएगी ।

(42) परिवहनकर्ता को शाखा कार्यालय से डी.ओ.जारी होने के पश्चात 48 घंटों में ट्रक की व्यवस्था कर गाँठों को उठाना होगा ।

(43) परिवहनकर्ता को जारी डी.ओ.के सामने प्रतिदिन केन्द्र/गोदाम से उठाई जाने वाली गाँठों का विवरण शाखा कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा ।

(44) परिवहनकर्ताओं को निम्न प्रकार निविदा प्रस्तुत करनी होगी :-

लिफाफा 'क'	-	लिफाफा 'क' पर तकनीकी बिड लिखकर उसमें तकनीकी बिड-I रखें ।
लिफाफा 'ख'	-	लिफाफा 'ख' पर वित्तीय बिड लिखकर उसमें तकनीकी बिड-II रखें ।
लिफाफा 'ग'	-	लिफाफा 'ग' पर परिवहन कार्य हेतु निविदा लिखकर उसमें लिफाफा 'क' और लिफाफा 'ख' रखें ।
टिप्पणी	-	हर लिफाफे पर निविदाकर्ता का नाम व पता होना चाहिये ।

(45) निगम न्यूनतम कार्य देने के लिए बाध्य नहीं है | परिवहनकर्ता को निगम का उपलब्ध कार्य सुचारु रूप से करना होगा |

(46) तकनीकी बिड-I में सफल हुए परिवहनकर्ताओं की ही वित्तीय बिड- II खोली जायेगी ।

मैंने निगम के सभी नियम एवं शर्ते ध्यान से पढ़ ली है तथा मै/हम इन नियमों एवं शर्तो के अन्तर्गत कार्य करने के लिये तैयार एवं बाध्य हैं ।

परिवहनकर्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
मय रबर स्टॉम्प के साथ

दिनांक ----------

(To be given on the printed letter head of the transporter)

To,

The Branch Manager,
The Cotton Corporation of India Ltd,
_____
_____

Subject : Authority letter for negotiation/finalization of Transportation rates for period_____to_____

Sir,

We hereby authorize Shri _____ (Name) _____ (Designation) of behalf of M/s _____ for negotiation and finalization of transportation rates for period _____.

Further, We submit that we are a sole proprietor/partnership/limited company and we have full authority to authorise Shri _____ as our representative whose specimen signature is given hereinbelow :-

_____
(specimen signature)

We agree to all terms and conditions of the Tender.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Signature of the Authorised Signatory)

Nane & Designation : _____

Name of the Firm : _____

Seal of the Firm : _____

गांठे परिवहन हेतु वर्क अनुबंध

यह अनुबंध_____दिनांक_____(वर्ष) को दी कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. स्थान_____ प्रथम भाग (जिसके पश्चात कार्पोरेशन लिखा गया है) एंव श्री _____ सुपुत्र श्री _____स्थन _____जिसके पश्चात परिवहनकर्ता(Transporter)) लिखा गया है दूसरे भाग के मध्य किया गया है । कार्पोरेशन के कार्य आदेश पत्र सं./दिनांक_____ की दरों अनुसार उसके संदर्भ में दूसरे भाग परिवहनकर्ता के द्वारा निम्नलिखित नियम,शर्तो के अनुसार कार्य करना स्वीकार किया गया है:-

(1) सभी गाँठे परिवहनकर्ता को सड़क परिवहन द्वारा ही भेजनी पड़ेगी । यह किसी भी कारणवश सड़क के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजी जा सकती । इसके लिये परिवहनकर्ता को अपनी न्यूनतम दर प्रति गाँठ देनी पड़ेगी । परिवहनकर्ता द्वारा दी गई प्रति गाँठ में लोडिंग/अनलोडिंग व अन्य उचित खर्चे (इन्सीडेंटिल खर्चे) शामिल होंगे । परिवहनकर्ता द्वारा निविदा में एक बार भरी गई दर फाईनल मानी जायेगी और निगम इस निविदा की अवधि के दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा रेट बढ़ाये जाने पर, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, टायर व अन्य कलपुर्जो के रेट बढ़ाने या कोई टैक्स बढ़ाये जाने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा । उस हालत में भी परिवहनकर्ता उन्हीं दरों पर काम करने के लिये बाध्य होगा । अत: निर्धारित दर समस्त अवधि के दौरान किसी भी कारणवश तब्दील नहीं की जा सकती ।

(2) गाँठें द्वार प्राप्ति (Door Delivery) के आधार पर बुक की जायेगी । दिये गये केन्द्रों से गाँठे उठाकर गंतव्य स्थान का पता जो भी हो, पहुँचानी होगी । यदि गंतव्य स्थान पर पहुँच कर गाँठों की डिलीवरी देने का स्थान बदल दिया जाता है तो ऐसी हालत में 50 KM तक के पथान्तर (Diversion) के लिये ट्रांसपोर्टर को कोई पथान्तर शुक्ल (Diversion Charge) नहीं दिया जायेगा ।

(3) गाँठे गंतव्य स्थान पर ट्रकों के पहुँचने की प्राथमिकता के आधार पर उतरवाई जायेगी । जो ट्रक पहले पहुँचेगा उसको पहले उतारा जायेगा । ऐसी हालत में अगर ट्रक लाईन लम्बी हो जाती है तो ट्रांसपोर्टर को कोई रिटेंशन चार्ज नही दिया जायेगा ।

(4) D.O. जारी होने के पश्चात ट्रांसपोर्टर को तुरन्त गाँठे भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी तथा गाँठों के डिस्पैच के तुरन्त पश्चात ट्रांसपोर्टर को G.R. No. व गाँठों का विवरण तुरन्त अगले दिन शाखा कार्यालय , श्रीगंगानगर को सूचित करना होगा ।

(5) गाँठों के लदान व परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर गाँठों की पूरी निगरानी रखेगा व संभालेगा । परिवहन के दौरान गाँठे तिरपालों से ढँकी होनी चाहिये । किसी कारणवश परिवहन के दौरान गाँठों को होने वाली हानि के लिये ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा ।

(6) ट्रकों की हालत अच्छी होनी चाहिये । अगर ट्रकों में पहले लादा कोयला या अन्य रसायन पदार्थ लगा हो तो ट्रकों की पूरी तरह सफाई करवाकर ही गाँठे लोड की जाये ।

(7) प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को प्रति सप्ताह एक तालिका (Statement) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें लॉट नंबर, गाँठों की संख्या, लॉरी रसीद नंबर और डिस्पैच की तिथि, स्टेशन जिसको भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिये ।

(8) दरें आदेश दिनांक से **30.09.2020** तक के लिये मान्य होगी जोकि आपसी सहमति द्वारा 3 माह के लिए बढ़ाई जा सकती हैं |

(9) गाँठें लक्षित स्थान पर अच्छी हालत में और उसी G.R. के आधार पर सुपुर्द की जानी चाहिये । यातायात के दौरान किसी भी गाँठ में लॉटस की मिलावट नहीं होनी चाहिये । गाँठे सामान्य तौर पर लदान होने के पश्चात सीधे ही गंतव्य स्थान पर पहुँचनी अनिवार्य होगी । गाँठों को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु के आधार पर बीच में किसी ट्रांसशिपमेंट के बगैर प्रेषण करना होगा । यदि किसी कारणवश सम्भव न हो तो एक से ज्यादा ट्रांसशिपमेन्ट की अनुमति नही होगी ।

(10) गांठें लोडिंग के पश्चात **5** दिन के अंदर गंतव्य स्थान पर पहुँचनी चाहिए (रविवार एवं छुट्टियों का दिन छोड़कर)। गाँठें निर्धारित अवधि के अंदर गंतव्य स्थान पर नही पहुँचती है तो 10/- रूपये प्रति गाँठ प्रतिदिन के हिसाब से देरी की पेनल्टी परिवहनकर्ता के बिल से/अन्य देयकों से कटौती की जायेगी ।

(11) गाँठे **टु पे** के आधार पर भेजी जा सकती है । चैक पोस्ट (नाका पोस्ट) पर चुंगी की अदायगी ट्रांसपोर्टरों को नियमानुसार करनी होगी और चुंगी की रसीद प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान कर दिया जायेगा । निर्यात हेतु भेजी जाने वाली गाँठों पर चुंगी नही लगेगी । इस

सम्बन्ध में आवश्यक प्रोफार्मे सामान्य तौर पर उपलब्ध करा दिये जाते है पर यह जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की ही होगी कि आवश्यक फार्म खुद भरे तथा साथ में ले जाये ।

(12) यदि कोई दुर्घटना या अन्य घटना हो जाती है तो प्रिलिमरी सर्वे कराये बिना वही से ट्रक तथा साल्वेज को नही हटाया जाना है । क्षति सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं कार्यवाही ट्रांसपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय, श्रीगंगानगर को भी तुरन्त देनी होगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की ही होगी । यदि रास्ते में कोई दुर्घटना/अग्नि दुर्घटना एवं अन्य घटना हो जाती है तो Preliminary Survey कराये बिना वहाँ से ट्रक तथा साल्वेज को तब तक न हटाया जाए जब तक सर्वेयर द्वारा सर्वे का काम पूरा नही कर लिया जाता है । ट्रांसपोर्टर का यह भी दायित्व होगा कि आवश्यकता पड़ने पर वे प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) Fire Brigade Report/Non Delivery Certificate पंचनामा आदि की कापी प्रस्तुत करेंगे । ट्रांसपोर्टर द्वारा FIR में अग्नि दुर्घटना में शामिल गाँठों की विवरणी तथा संख्या की रिपोर्ट निश्चित रूप से दर्ज करानी होगी । क्षति संबंधी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं कार्यवाही ट्रांसपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय, श्रीगंगानगर को भी तुरन्त देनी होगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होगी ।

(13) ट्रासंपोर्टर द्वारा पूरे लॉट की मूल बिल्टी/जी.आर प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा । (जी.आर.की फोटोप्रति मान्य नहीं होगी)

(14) बिलों से टी.डी.एस सरचार्ज तत्कालीन नियमानुसार काटा जायेगा ।

(15) परिवहनकर्ता द्वारा यदि निर्धारित अवधि में गाँठे नहीं उठाई जाती है तो दोषी होने पर वह कार्य किसी अन्य परिवहनकर्ता से प्रचलित मार्केट दर के अनुसार करवाया जायेगा व उससे निगम को होने वाली क्षतिपूर्ति की वसूली संबंधित मूल परिवहनकर्ता से की जायेगी ।

(16) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रकार के लागू या लागू होने वाले टैक्स की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी ।

(17) यदि एक ही लॉट की गाँठे दो अलग-अलग तिथियों में पहुँचती है तो बाद में पहुँची गाँठों की तिथि ही पूरे लॉट के लिये मानी जायेगी ।

(18) परिवहनकर्ता के प्रत्येक बिल में से 10% राशि की कटौती की जायेगी तथा संपूर्ण कार्य निष्पादन के पश्चात काटी गई 10% राशि परिवहनकर्ता को वापिस की जायेगी ।

(19) निगम को पूरा अधिकार होगा कि वह अपने विवेकाधिकार से एक या अधिक परिवहनकर्ता को अनुबंधित करे ।

(20) गाँठे कांट्रेक्ट अनुसार तथा लॉट अनुसार उठाई जायेगा तथा एक लॉट की गाँठों को दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जाये तथा परिवहनकर्ता इस प्रकार से गाँठे भेजें जिसमें दोनों भाग अनिवार्य रूप से गंतव्य स्थान पर साथ-साथ पहुँचे ।

(21) गाँठे उठाते समय परिवहनकर्ता को अपनी कंपनी के लैटरहैड पर गाँठे सही स्थिति में ली गई है, ऐसा प्रमाण-पत्र लिखकर देना होगा ।

(22) परिवहनकर्ता को KVIC द्वारा इसी दर पर निगम की गांठें परिवहन करने हेतु भी कार्य दिया जा सकता है जोकि परिवहनकर्ता को निर्धारित दर पर करना होगा।

(23) परिवहन हेतु GST E-Way Bill बनाने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी। यदि GST E-Way Bill बनाने में लापरवाही के कारण निगम को GST act & provisions के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हानि/ देनदारी उत्पन्न होती है तो उसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जाएगी।

(24) परिवहनकर्ता को शाखा कार्यालय से डी.ओ.जारी होने के पश्चात 48 घंटों में ट्रक की व्यवस्था कर गाँठों को उठाना होगा ।

(25) परिवहनकर्ता को जारी डी.ओ.के सामने प्रतिदिन केन्द्र/गोदाम से उठाई जाने वाली गाँठों का विवरण शाखा कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा ।

(26) निगम न्यूनतम कार्य देने के लिए बाध्य नहीं है | परिवहनकर्ता को निगम का उपलब्ध कार्य सुचारु रूप से करना होगा |

(27) किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर निगम द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर (जो कि निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को विवाद के निर्णय हेतु मामला सुपुर्द किया जायेगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा एवं आर्बीट्रेटर, आर्बीट्रेशन व रिकंसीलेशन एक्ट 1996 के प्रोवीजन के अन्तर्गत शासित होगा ।

(28) किसी भी विवाद की स्थिति मे क्षेत्राधिकार (Jurisdiction Area) श्रीगंगानगर ही रहेगा |

मैंने/हमने निगम के सभी नियम एवं शर्तें ध्यान पढ़ ली हैं तथा मै/हम इन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत कार्य करने के लिए तैयार एवं बाध्य हैं |

हस्ताक्षर :_____ साक्षी का नाम व हस्ताक्षर :_____

तिथि:

ट्रांसपोर्टर का पूरा नाम और मुहर :_____

पिता का नाम _____

पूरा पता_____

मोबाइल नंबर _____

ई-मेल आई डी _____

मुख्य महाप्रबंधक
दी कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.,श्रीगंगानगर